हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2016 की द्वितीय नियमित बैठक की कार्यवाही, जो दिनांक 30 मई, 2016 को दोपहर 12–00 बजे आचार्य ए0डी0एन0 बाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1– आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, प्रति कुलपति
2– आचार्य एम0एस0 चौहान, अधिष्ठाता भौतिक विज्ञान संकाय
3– आचार्य हिम चटर्जी, अधिष्ठाता प्रदर्शन एवं दृश्य कलाएं संकाय
4– श्री कृष्ण वैद्य, प्राचार्य
5– आचार्य वाई0के0 शर्मा, प्रतिनिधि शैक्षणिक परिषद्
6– आचार्य जे0बी0 नड्डा
7– श्रीमती राज कुमारी, प्रतिनिधि गैर–शिक्षक कर्मचारी
8– श्री हरीश जनारथा, नामिती कुलाधिपति महोदय
9– डॉ0 पंकज ललित, –कुलसचिव
सदस्य–सचिव

मद संख्या:1: कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की ***वर्ष 2016 की द्वितीय नियमित बैठक*** में कुलपति महोदय ने सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

कुलपति महोदय ने कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य रहे आचार्य सतीश भडवाल एवं आचार्य अनुराग शर्मा का धन्यवाद किया तथा उनके स्थान पर नव नियुक्त सदस्यों आचार्य जे.बी.नड्डा, आचार्य वाई.के. शर्मा एवं डॉ. (श्रीमती)श्यामा जोशी का स्वागत किया।

कुलपति महोदय ने परिषद् को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में चल रहे एस.एफ.आई. के धरना प्रदर्शन के दौरान सभी संगठनों के छात्रों से कई बार विचार–विमर्श हुआ तथा उसमे अधिकांश मांगों को मानकर उन पर कार्य को अतिशीघ्र पूरा किया जा रहा है। बहुत सी मांगों पर प्रशासन पहले ही संवेदनशील है और उस पर निर्माण और मुरम्मत कार्य को और तेज़ कर दिया गया है।

कुलपति महोदय ने परिषद् को यह भी अवगत कराया कि उन्होंने स्वयं सभी छात्र संगठनों से शान्तिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने तथा शैक्षणिक माहौल बनाने में सहयोग की अपील की है किन्तु यदि ये छात्र संगठन हठधर्मिता छोड़ेंगे नहीं तथा किसी विशेष राजनैतिक दल व कामगार संगठन का एजेंट बनने का प्रयास करेंगे तो उसे बिल्कुल बर्दाशत नहीं किया जाएगा तथा नियमों के अनुसार सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने परिषद् को बताया कि इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईं:–

1. दिनांक 1 अप्रैल 2016 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में रूसा से सम्बन्धित एक बैठक का आयोजन किया गया।

2. दिनांक 8 अप्रैल 2016 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रदेश के 10 महाविद्यालयों में आरम्भ किए जा रहे बी.वॉक पाठयक्रम के लिए सबसे पहले पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से तैयार कर उसके सभी पहलुओं पर विश्वविद्यालय स्तर पर पूर्ण रूप से तैयारी करने के सम्बन्ध में एक संगोष्ठी आयोजित की गई।

3. दिनांक 8 अप्रैल 2016 को ही महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, बद्दी, सोलन में 'इंजिनियरिंग, प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार' पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

4. दिनांक 9 अप्रैल 2016 को विश्वविद्यालय परिसर में पहली कुलपति टी–20 क्रिकेट कप प्रतियोगिता के शुभारम्भ किया।

5. दिनांक 9 अप्रैल 2016 को ही विश्वविद्यालय सभागार में एन.एस.यू.आई. के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमन्त्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

6. दिनांक 12 अप्रैल 2016 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं इंग्लैण्ड के बाथ स्पा विश्वविद्यालय के बीच अध्यापन, अध्ययन और शोध के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस सम्बन्ध में बाथ स्पा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेज ऑफ लिबरल आर्टस का एक प्रतिनिधि मण्डल कुलपति एवं भूगोल विभाग के प्राध्यापकों के साथ विस्तृत विचार– विमर्श हुआ। दोनों देशों के विश्वविद्यालय भूगर्भ ज्ञान तथा रिमोर्ट सैंसिंग के क्षेत्र में विशेष महत्व योगदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

7. दिनांक 12 अप्रैल 2016 को ही अन्तर्राष्ट्रीय स्वामी नारायण ट्रस्ट अनुसंधान केन्द्र तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शीघ्र ही वेदों के ज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम एवं विषय संयुक्त रूप से आरम्भ के लिए स्वामी नारायण संस्था, अहमदाबाद के क्षेत्रीय मुख्यालय अक्षर धाम मंदिर नई दिल्ली से उत्तर क्षेत्र के प्रमुख स्वामी मुन्नी वत्सल, स्वामी निर्दोष योगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वामी नारायण ट्रस्ट अनुसंधान केन्द्र के प्रमुख स्वामी भद्रेश विश्वविद्यालय में पधारे।

8. दिनांक 13 अप्रैल 2016 को हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल ने भारत रत्न एवं संविधान के निर्माता डॉ. भीम राव अम्बेडकर की 125वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

9. दिनांक 18 अप्रैल 2016 को परिसर में आम लोगों विशेष रूप से विश्वविद्यालय में अपना कार्य को पूरा करने के लिए बाहर से आने वाले लोगों के लिए बैठने, फार्म इत्यादि भरने तथा शौचालय सुविधा प्रदान करते हुए नवोनमेष मण्डपम का उद्घाटन किया।

10. दिनांक 18 अप्रैल 2016 को ही विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगे समरहिल पोस्ट ऑफिस के ए. टी.एम. का उद्घाटन किया।

11. दिनांक 18 अप्रैल 2016 को ही कुलपति टी–20 क्रिकेट कप प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

12. दिनांक 21 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर कौशल विकास में पारंपरिक एवं आधुनिक ज्ञान की भूमिकाश विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

13. दिनांक 22 अप्रैल 2016 को ही राज भवन में छात्रों की मांगों और रुसा से सम्बन्धित बैठक आयोजित की गई जिस में इन सभी मांगों पर विचार–विमर्श किया गया।

14. दिनांक 22 अप्रैल 2016 को विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर आज विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा पोस्टर मेकिंग, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

15. दिनांक 29 अप्रैल 2016 को विश्वविद्यालय के सांध्यकालीन अध्ययन केन्द्र, द मॉल शिमला में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

16. दिनांक 30 अप्रैल 2016 को माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मनसूर अहमद मीर से विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह से सम्बन्धित विचार–विमर्श किया गया।

17. दिनांक 30 अप्रैल 2016 को सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले मुक्त मंच में चौथे व्याख्यान के अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक–कानून एवं व्यवस्था श्री संजय कुण्डू ने अपने विचारों को विश्वविद्यालय समुदाय के साथ सांझा किया।

18. दिनांक 2 मई 2016 को कुल्लू छात्र संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम 'मलाणा नाखी संस्कृति, नौखे रिवाज़' में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

19. दिनांक 5 मई 2016 को विश्वविद्यालय के मॉडल स्कूल के वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

20. दिनांक 5 मई 2016 को ही विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों जैसेः –रेणुका, रानी लक्ष्मी बाई, चन्द्रभागा तथा विद्योत्तमा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

21. दिनांक 7 मई 2016 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ का सम्मेलन विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित किया गया जिसमें विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को एक मंच पर आमंत्रित कर उनके बीते वर्षों में उनके द्वारा किए गए संघर्ष तथा उपलब्धियों के बारे में विचार–विमर्श किया गया तथा उनके द्वारा प्राप्त की गई उंचाईयों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया।

22. दिनांक 7 मई 2016 को ही वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई।

23. दिनांक 9 मई 2016 को विश्वविद्यालय अनुदान अयोग मानव संसाधन विकास केन्द्र में उन्नमुखी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

24. दिनांक 16 मई 2016 को एच.आई.एस. छात्रावास की छात्राओं द्वारा एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

25. दिनांक 19 मई 2016 को ''आध्यात्मिकता में प्रासंगिकता'' विषय पर विश्वविद्यालय व्याख्यान माला के अन्तर्गत व्याख्यान आयोजित किया गया। इस व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता स्वामी गिरीशा नन्द जी सरस्वती महाराज रहे।

26. दिनांक 16 मई 2016 को सरस्वती छात्रावास की छात्राओं द्वारा एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

27. दिनांक 23 मई 2016 को यू.आई.आई.टी और कम्प्यूटर विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लि या।

28. दिनांक 23 मई 2016 को ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानव संसाधन विकास केन्द्र में पर्यावरण विषय पर समर स्कूल में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

29. दिनांक 23 मई 2016 को ही राज्य सचिवालय में विश्वविद्यालय वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें छात्रों और कर्मचारियों की मांगों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को वित्तीय सहमती प्रदान की गई।

30. दिनांक 26 मई 2016 को सभी अधिष्ठाताओं के साथ शैक्षणिक विकास सम्बन्धी बैठक आयोजित की गई।

तदोपरांत कुलपति महोदय ने कुलसचिव से आग्रह किया कि वे आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

मद संख्या–2: कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठकों दिनांक 27–1–2016, 26–2–2016, 11–3–2016 तथा 30–3–2016 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने दिनांक 27–1–2016, 26–2–2016, 11–3–2016 तथा 30–3–2016 को हुई बैठकों में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण किया।

मद संख्या–3: कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठकों दिनांक 27–1–2016, 26–2–2016, 11–3–2016 तथा 30–3–2016 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने दिनांक 27–1–2016, 26–2–2016, 11–3–2016 तथा 30–3–2016 में लिए गए निर्णयों को निम्नलिखित टिप्पणी के साथ अनुमोदित किया:–

दिनांक 27–01–2016

(मद संख्या–10): कार्यकारिणी परिषद् ने एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान में पर्यावरण विज्ञान में अनुबंध आधार पर कार्यरत डॉ0 वी.के. सांत्वान सहायक आचार्य को देय तिथि से नियमितीकरण का लाभ प्रदान करने के लिए मामला पुनः पूर्ण तथ्यों सहित वित्त समिति के समक्ष रखा जाये।

मद संख्या–4: कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–12 –सी (7) के अन्तर्गत लिए गए निर्णयों से अवगत करवाना ।

....

(i) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा दिनांक 16–3–1972 को हुई बैठक में मद संख्या–15(3) दिनांक 16–3–1972 के अंतर्गत महाविद्यालय दीक्षांत समारोह हेतु बनायी गई प्रक्रिया के अनुबन्ध–IV में बिन्दु–6 के उपरांत निम्नलिखित बिन्दु–7 जोड़ने हेतु अनुमोदित कियाः–

7. At the Convocation of IGMC as per Ordinance 31.16 the following Gold Medals to the meritorious positions in IGMC will be awarded and the expenses will be met out from the funds of the College concerned : -

Sr. No.	**Type of the meritorious position**	**No. of Gold Medals**
1.	Topper of all MBBS Professionals (combined)	One
2.	Topper of the final MBBS Professional	One
3.	MBBS Final Year topper Medicine	One
4.	MBBS Final Year topper of Surgery	One
5.	MBBS Final Year topper of Pediatrics	One
6.	MBBS Final Year topper of Gynae & Obstetrics	One
7.	MBBS Final Year topper of Community Medicine	One
8.	MBBS Final Year topper of Ophthalmology	One
9.	MBBS Final year topper of ENT	One

(ii) बोर्ड ऑफ स्टडीज तथा संकाय की सिफारिशों के आधार पर गणित विषय के साथ स्नातक स्तर पर बी.ए. एवं बी.एस.सी उपाधि उपाधि प्राप्त करने बाले छात्रों जो गणित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि उतीर्ण करते हैं उन्हें भौतिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत एम.एससी. की उपाधि प्रदान की जायेगी ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–12–सी (7) के अन्तर्गत लिए गए उपरोक्त निर्णयों को नोट कर अनुमोदित किया।

मद संख्या–5: कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों से निर्धारित समय अवधि के भीतर कोई मद प्राप्त नहीं हुई है।

मद संख्या –6 : शैक्षणिक परिषद् की नियमित बैठक दिनांक 25–2–2016 की सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने शैक्षणिक परिषद् की दिनांक 25–2–2016 को हुई बैठक की सिफारिशों को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया।'

मद संख्या –7 : कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विज्ञापित चौकीदार पदों की नियुक्ति हेतु गठित भर्ती एवं पदोन्नति समितियों के अनुमोदन बारे।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा COPC No.656/2015 शीर्षक ''गीता राम एवं अन्य बनाम मोहन झारटा व अन्य'' में दिनांक 23–3–2016 को पारित आदेशों की अनुपालना में विज्ञापन संख्या–6/2015 दिनांक 21–10–2015 द्वारा विज्ञापित चौकीदारों के 9 पदों को भरने के लिए कुलपति महोदय द्वारा विशेष परिस्थितियों में गठित भर्ती एवं पदोन्नति समितियों को नोट कर अनुमोदित किया।

मद संख्या –8 : श्री बाल कृष्ण शर्मा, सहायक कुलसचिव(निलंबित) के विरूद्ध विभागीय जांच में जांच अधिकारी द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट तथा उस पर श्री बाल कृष्ण शर्मा से प्राप्त अभ्यावेदन को साथ–2 पढ़ते हुए उनके विरूद्ध लगाई जाने वाली सजा/दण्ड हेतु मामला कार्यकारिणी परिषद् के सन्मुख प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने श्री बाल कृष्ण शर्मा, सहायक कुलसचिव (निलंबित) के विरूद्ध विभागीय जांच में जांच अधिकारी द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट तथा उस पर श्री बाल कृष्ण शर्मा से प्राप्त अभ्यावेदन को साथ–2 पढ़ते हुए मामले पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त उनके द्वारा सेवा में रहते हुए किये गये कदाचार/अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय की सेवाओं से वर्खास्त (Dismiss) करने का निर्णय लिया।

मद संख्या–9: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने तथा उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ एवं निदेशक की नियुक्ति (अतिरिक्त प्रभार) की व्यवस्था करने का मामला परिषद् के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने तथा उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ खोलने एवं निदेशक के पद पर आचार्य (श्रीमती) नीलिमा कंवर की नियुक्ति (अतिरिक्त प्रभार) को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–10: एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान में अनुबन्ध आधार पर कार्यरत शोध अधिकारियों की 5 वर्ष की सेवा अवधि पश्चात् नियमितीकरण के प्रकरण को सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा–निर्देशों के आलोक में गठित छानबीन/पात्रता हेतु अधिसूचना संख्याः7–1/2002–हि.प्र.वि.(स्था0)दिनांक 28–3–2016 को हुई बैठक की कार्यवाही कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ हेतु।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान में अनुबन्ध आधार पर कार्यरत तीन परियोजना अधिकारियों के नियमितीकरण हेतु गठित छानबीन समिति की सिफारिशों एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियमितीकरण सम्बन्धी दिशा–निर्देशों तथा कार्यकारिणी परिषद् के मद संख्या–6(4) दिनांक 01–03–2014 को हुई बैठक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18–04–2012 को पारित आदेशों की अनुपालना में एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान में कार्यरत शोध अधिकारियों व अन्य अध्यापन स्टाफ के नियमितीकरण हेतु लगाई गई शर्तों के अनुरूप उपरोक्त तीन परियोजना अधिकारियों को दिनांक 1–4–2016 से नियमित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या–11: गणित विभाग में सह आचार्य के पद पर नियुक्ति उपरान्त कार्यग्रहण अवधि में विस्तार देने के सन्दर्भ में निवेदन को कार्यकारिणी परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने गणित विभाग में सह–आचार्य के पद पर नियुक्ति उपरान्त कार्यग्रहण अवधि में विस्तार देने हेतु डॉ0 ज्ञान चन्द द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया कि डॉ0 ज्ञान चन्द को सह–आचार्य के पद पर कार्यग्रहण के लिए 15 जून, 2016 तक का समय दिया जाये यदि वे उक्त अवधि तक कार्यग्रहण नहीं करते हैं तो चयन समिति द्वारा उपरोक्त पद के लिए कोई प्रतीक्षा सूची/पैनल बनाया गया है उस सूची/पैनल में से वरिष्ठ पात्र अभ्यार्थी को नियुक्ति दी जाये।

मद संख्या–12: मद संख्या–3 के अंतर्गत लिए निर्णय अनुसार जानकारी कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये गये ब्यौरे पर चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत ब्यौरे में दर्शाये गये कार्यों हेतु जारी की गयी निविदाओं की तिथियां परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जायें।

इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया निर्माण मण्डल में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि और उनके वेतन पर हो रहे व्यय तथा विश्वविद्यालय में विभिन्न भवनों के रख–रखाव के लिए वांछित अनिवार्य कर्मचारियों का पूर्ण विवरण परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या–13: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1970 (संशोधित) धारा–29 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने बारे।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1970 (संशोधित) धारा–29 के प्रावधानों के अनुरूप अनुमोदित कर विश्वविद्यालय कोर्ट के अनुमोदन हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया।

कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया विश्वविद्यालय के वर्ष 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015 के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाये, और जिन विभागों/शाखाओं से ऑडिट पैरों के उत्तर प्राप्त नहीं हैं उन्हें सख्त निर्देश दिये जायें कि वे यथाशीघ्र ऑडिट पैरों का निष्पादन कर अपना प्रतिवेदन वित्त अधिकारी को प्रेषित करें ताकि उपरोक्त लम्बित वर्षों के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन कार्यकारिणी परिषद्/विश्वविद्यालय कोर्ट के अनुमोदनोपरांत विधान सभा के पटल पर रखने के लिए प्रदेश सरकार को प्रेषित किये जा सकें। कार्यकारिणी परिषद् ने उपरोक्त वर्षों के लम्बित वार्षिक लेखों को तैयार करवाने के लिए प्रति कुलपति महोदय को अधिकृत किया तथा वे इस मामले में अपना प्रवतिवेदन कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेंगे।

मद संख्या–14: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 23वें दीक्षांत समारोह को आयोजित करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय अध्यादेश 41.3(a) के अनुसार विश्वविद्यालय का 23वां दीक्षांत समारोह जुलाई माह में आयोजित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–15: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष राजकीय महाविद्यालय संघ द्वारा विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् में पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन विचारार्थ प्रस्तुत।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने हिमाचल प्रदेश राजकीय शिक्षक संघ द्वारा राजकीय एवं गैर–राजकीय महाविद्यालयों के सहायक आचार्यों को विश्वविद्यालय अधिनियम–21(1)(xiv) के अंतर्गत कार्यकारिणी परिषद् में दिये गये प्रतिनिधित्व बारे सौंपे गये प्रतिवेदन पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अधिनियम की उपरोक्त धारा के अंतर्गत जब महाविद्यालयों के सहायक आचार्यों को कार्यकारिणी परिषद् में प्रतिनिधित्व दिया गया था उस समय महाविद्यालयों की संख्या वर्तमान की अपेक्षा काफी कम थी। अब जबकि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में बहुत से नये महाविद्यालय खोले गये हैं की संख्या को मध्यनजर रखते हुए राजकीय एवं गैर–राजकीय महाविद्यालय के सहायक आचार्य को कार्यकारिणी परिषद् में अलग–अलग प्रतिनिधित्व देने के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कीः

Act	Existing	Proposed
Section 21(1)(xiv) of the Himachal Pradesh University Act, 1970	One representative of the Assistant Professors of the colleges affiliated to the University to be chosen by direct election.	One representative each of the teachers (excluding Principals) of Govt. Colleges & Non-Govt. Colleges affiliated to the University separately to be chosen by direct election.

परिषद् ने यह भी निर्णय लिया विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रस्तावित उपरोक्त संशोधन को विधान सभा की स्वीकृति हेतु प्रदेश सरकार को प्रेषित किया जाये।

मद संख्या–16: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के मध्यनजर विश्वविद्यालय के कुछ गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक न करने बारे अधिसूचना संख्याः 3–51/2005–हि.प्र.वि.(सा0)–खण्ड–2 दिनांक 19–3–2007 के बिन्दु–9 में आंशिक संशोधन करने बारे मामला परिषद् के अवलोकन एवं उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के कुछ गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक न करने बारे दिनांक 24–02–2007 को हुई बैठक में मद संख्या–9 के अंतर्गत लिये गये निर्णय जिसे अधिसूचना संख्याः3–51/2005–हि.प्र.वि.(सा0)–खण्ड–2 दिनांक 19–3–2007 द्वारा अधिसूचित किया गया था के बिन्दु–9 पर कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय/विशेष प्रतिवेदन तथा सरकार एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त गोपनीय सूचनाओं को सार्वजनिक न करने बारे लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा State of Maharashtra V/s Public Concern for Governance Trust, 2007 [3] SCC-587 has held that every entry in the ACR should be communicated to the public servant concerned within a reasonable time and this principle was reiterated in the case of Dev Dutt, 2008[8]SCC-725 में पारित आदेशों पर चर्चा के उपरान्त बिन्दु–9 तथा सूचना अधिकार अधिनियम–2005 को विश्वविद्यालय में सही रूप में लागू करने के मामले का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित समिति का गठन कियाः–

1– आचार्य वाई.के. शर्मा, सदस्य कार्यकारिणी परिषद् –अध्यक्ष

2– आचार्य रघुविन्दर सिंह, विधि विभाग –सदस्य

3– उप कुलसचिव(प्रशासन) –सदस्य–संयोजक

मद संख्या–17: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को कम्प्यूट्रीकृत करने के लिए ई.आर.पी. प्रणाली (वैव आधारित विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली) को लागू करने के बारे में विस्तृत व्यौरा।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मद में दी गई जानकारी का गहनतापूर्वक अध्ययन कर विश्वविद्यालय के सभी कार्यकलापों का कम्प्यूट्रीकरण करने हेतु ई.आर.पी. प्रणाली को नामांकन आधार पर मै0 आई.टी.आई. लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)के माध्यम से लागू करने तथा उक्त उपक्रम के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। कार्यकारिणी परिषद् द्वारा उक्त समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया तथा उन्हें यह निर्देश दिया गया कि समझौता ज्ञापन को तुरन्त हस्ताक्षरित किया

जाए ताकि तदोपरान्त उक्त उपक्रम के सॉफ्टवेयर के माध्यम से रूसा के अंन्तर्गत स्नातक स्तर की छठे समैस्टर की परीक्षाओं का परिणाम 30 जुन, 2016 से पहले घोषित किया जा सके ताकि उक्त छात्र उसके आधार पर स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश ले सकें।

कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त कंपनी विश्वविद्यालय में उपरोक्त प्रणाली को स्थापित करने के साथ–साथ विश्वविद्यालय कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करेगी।

कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में मै0 आई.टी.आई. लिमिटेड के माध्यम से ई.आर.पी. प्रणाली (वैव आधारित विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली) को लागू करने हेतु धन राशि उपलब्ध करवाने के लिए मामला प्रदेश सरकार से उठाया जाये।

मद संख्या–18: वित्त समिति की दिनांक 7–5–2016 व 23–5–2016 को हुई बैठक की सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने वित्त समिति की दिनांक 7–5–2016 व 23–5–2016 को हुई बैठक की सिफारिशों को निम्नलिखित टिप्पणी के साथ **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया:–

दिनांक: 7–5–2016

(मद संख्या–20): कार्यकारिणी परिषद् द्वारा वित्त समिति की सिफारिश का अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया कि अनुभाग अधिकारी से सहायक

कुलसचिव के पद हेतु दी गई छूट की अवधि को 9 मास के स्थान पर एक वर्ष करने हेतु मामला पुनः वित्त समिति के समक्ष रखा जाए।

मद संख्या–19: समरहिल चौक से आकाशवाणी आवासीय कालोनी द्वार तक सड़क जो वर्तमान में राजस्व दस्तावेजों के अनुसार नगर निगम, शिमला के नाम है को स्थाई रूप से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के नाम हस्तांतरित करने हेतु मामला विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

.....

कुलपति महोदय ने कार्यकारिणी परिषद् को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय में चल रहे छात्र आंदोलन पर छात्रों से कई बार वार्ता की गई लेकिन छात्र अभी भी कुछ मांगों को लेकर अपना आन्दोलन जारी रखे हुए हैं। जब विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इन छात्रों अपना अनशन/धरना विश्वविद्यालय परिसर से हटाने को कहा गया तो इन छात्रों द्वारा यह तर्क देकर अपना धरना उठाने से इन्कार कर दिया कि वे नगर निगम की सड़क पर अनशन/धरने पर बैठे हैं न कि विश्वविद्यालय परिसर में। इन छात्रों द्वारा किये जा रहे आंदोलन व धरने के कारण बाहर से आने वाले आगुंतकों को परेशानी हो रही है अतः समरहिल चौक से आकाशवाणी आवासीय कालोनी द्वार तक सड़क जो वर्तमान में राजस्व दस्तावेजों के अनुसार नगर निगम, शिमला के नाम है को स्थाई रूप से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के नाम हस्तांतरित बारे कोई उचित निर्णय लिया जाये।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा स्पष्ट स्थिति पर कार्यकारिणी परिषद् ने यह निर्णय लिया कि समरहिल चौक से आकाशवाणी आवासीय कालोनी द्वार तक सड़क जो वर्तमान में नगर निगम शिमला के अधिकार में आता है को विश्वविद्यालय के नाम हस्तांतरित करवाने के लिए परिषद् के समस्त सदस्य कुलपति महोदय की अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मुलाकात कर इस मामले को उनके समक्ष उठायेंगे।

मद संख्या–20: माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की सिफारिशानुसार अध्यादेश के अध्याय–38 के पैरा 38.5 बी में आवश्यक संशोधन करने तथा रैगुलेशन फॉर ऐफिलेशन ऑफ कॉलेज में समिति की कार्यवाही के अनुसार संशोधन करने तथा विश्वविद्यालय विकास शुल्क में संशोधन सम्बन्धी मामला कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार विश्वविद्यालय अध्यादेश के अध्याय–38 के पैरा 38.5 बी में रैगुलेशन फॉर ऐफिलेशन ऑफ कॉलेज तथा विश्वविद्यालय विकास शुल्क में संशोधन को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया। तथापि कार्यकारिणी परिषद् ने समिति द्वारा **संलग्नक** में प्रस्तावित **स्थायी निरन्तरता संबद्धता शुल्क प्रत्येक 5 वर्ष के स्थान प्रत्येक 3 वर्ष** के उपरान्त लेने का निर्णय लिया। परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि स्थायी निरन्तरता संबद्धता शुल्क को प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की बृद्धि के हिसाव से वसूला जाये।

मद संख्या–21: To place before the Executive Council the matter regarding adopting the latest MHRD template for undergraduate students.

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने अधिष्ठाता समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्नातक स्तर पर CBCS प्रणाली के लिए जारी/निर्धारित़ नवीनतम पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2016–2017 से विश्वविद्यालय में लागू करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्नातक स्तर पर CBCS प्रणाली के लिए जारी/निर्धारित़ नवीनतम पाठ्यक्रम को पूर्ण रूपेण लागू करने हेतु अधिष्ठाता अध्ययन समस्त विभागाध्यक्षों/निदेशकों के साथ विचार–विमर्श करने के लिए एक बैठक का आयोजन करेंगी।

मद संख्या–22: To place before the Executive Council the matter with regard to the allotment of Faculties to the students of MBA (Rural Development) and students of M.Sc. (Environment Sciences).

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने एम.बी.ए. (Rural Development) तथा एम.एससी. (Environment Sciences) को क्रमशः वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय तथा जीव–विज्ञान संकाय में सम्मिलित करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की। कार्यकारिणी परिषद् ने शैक्षणिक परिषद् की दिनांक 2–4–2015 को हुई बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर यह भी निर्णय लिया कि एम.बी.ए. (Rural Development) तथा एम.एससी. (Environment Sciences) के छात्रों को उपरोक्त संकायों के अंतर्गत उपाधियां प्रदान की जायें। इसके अतिरिक्त परिषद् ने यह निर्णय लिया कि उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अध्यादेश

के अध्याय–14 एवं 15 के अनुरूप बोर्ड ऑफ स्टडीज जिसमें एक वाह्य सदस्य भी सम्मिलित हो का गठन किया जाये ताकि भविष्य में इन पाठ्यमों के लिए सीटों का उचित निर्धारण किया जा सके।

मद संख्या–23: To place before the Executive Council the matter with regards to appointment of College Teachers as Ph.D. Supervisors.

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को पीएच.डी उपाधि के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किएः–

(i) Those who are regular and permanent teachers of the affiliated Colleges/Institutes and have completed a minimum of 5 years of regular service in a College/Institute.

(ii) Those who have a Ph.D degree and have published a minimum of three papers independently in peer-reviewed/refereed journals of national and international repute bearing an ISBN or ISSN. Papers published in periodicals, newspapers and competition-related weekly, monthly or bio-monthly magazines will not be considered.

(iii) Those Assistant Professors or Associate Professors who possess all the above mentioned conditions can send their consent through Principal/Dean of the Faculty/Chairperson for consideration to be appointed as Ph.D Supervisors.

Note: Whether a teacher can be appointed as Supervisor shall depend on the decision of the Standing Committee after considering his/her specialization and expertise in the concerned subject with the final approval of the Vice-Chancellor.

कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त निर्णय को लागू करने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाए तथा तदानुसार विश्वविद्यालय अध्यादेश में संशोधन हेतु मामला भी कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष लाया जाए।

मद संख्या–24: अंग्रेजी विषय की छात्रा अर्चना महाजन के चतुर्थ सत्र के परीक्षा परिणाम को घोषित करने का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने अंग्रेजी विषय की छात्रा अर्चना महाजन रोल नं0 14666 के चतुर्थ समैस्टर के परीक्षा परिणाम जो उसने अपने नियमित समैस्टर में नहीं दिया था के परीक्षा परिणाम को विशेष प्रकरण के तौर पर रूपये 5000/–जुर्माना (penalty) लेकर घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की। परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य के लिए इसे परम्परा न माना जाये।

मद संख्या–25: रूसा प्रणाली (सी.बी.सी.एस.) नियमावली व बी.ए.एल.एल.बी. (पंचवर्षीय) से सम्बन्धित संशोधनों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश में समाहित करने का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ व अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने रूसा प्रणाली (सी.बी.सी.एस.) नियमावली व बी.ए.एलएल.बी. (पंचवर्षीय) से सम्बन्धित संशोधनों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश 7.1 से 7.13 (j) में समाहित करने के लिए **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया।

.....

यथा–स्थान की गई चर्चा:

सम्माननीय सदस्य श्री हरीश जनारथा ने सैंट वीड्स महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अर्जित अवकाश का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया और कहा कि इस महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुरूप अर्जित अवकाश प्रदान नहीं किया जा रहा है जिसके लिए वे कई बार विश्वविद्यालय में अभ्यावेदन भी प्रस्तुत कर चुके हैं। श्री जनारथा जी ने कहा कि सैंट वीड्स महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षा विभाग के नियमानुसार अर्जित अवकाश प्रदान किया जाये।

श्री जनारथा द्वारा उठाये गये उपरोक्त मामले पर कार्यकारिणी परिषद् ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय प्रशासन प्राचार्य, सैंट वीड्स महाविद्यालय से लिखित में पत्राचार कर उन्हें महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के नियमानुसार अर्जित अवकाश प्रदान करने के लिए निर्देशित करे।

श्री हरीश जनारथा जी ने कहा कि उन्हें बहुत से छात्रों से अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र में प्राच्य विषय–शास्त्री, आचार्य इत्यादि प्रारम्भ करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं अतः उपरोक्त केन्द्र में प्राच्य विषय–शास्त्री, आचार्य इत्यादि विषय प्रारम्भ किये जायें। श्री जनारथा द्वारा उठाये गये इस मामले पर कार्यकारिणी परिषद् ने सैद्धान्तिक तौर पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

श्री जनारथा जी ने कहा कि महाविद्यालय अध्यापक शिक्षक संघ ने यह अभ्यावेदन दिया है कि विश्वविद्यालय में निदेशक, शारीरिक शिक्षा के पद पर सीधी भर्ती हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही है जिससे महाविद्यालयों के शिक्षक इस पद पर सीधी भर्ती के पात्र नहीं हो पा रहे हैं। अतः उन्होंने कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष यह मामला उठाया कि निदेशक, शारीरिक शिक्षा के पद पर सीधी भर्ती हेतु पात्र आवेदक के लिए सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा के साथ सहायक आचार्य/सह–आचार्य को भी सम्मिलित किया जाये। जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि मामले का परीक्षण कर इसे पूर्ण तथ्यों सहित परिषद् के समक्ष रखा जाये।

श्री जनारथा जी ने कहा कि दैनिक समाचार–पत्रों और प्रसारण माध्यमों में विश्वविद्यालय के विरूद्ध हो रहे दुष्प्रचार में विश्वविद्यालय का सही पक्ष नहीं रखा जा रहा है अतः विभिन्न सूचना प्रसारण के माध्यमों में विश्वविद्यालय का सही पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सहायक जन सम्पर्क अधिकारी का एक पद सृजित किया जाये। श्री जनारथा द्वारा उठाये गये इस मामले पर कार्यकारिणी परिषद् ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में सहायक जन सम्पर्क अधिकारी का पद सृजित करने के लिए मामला वित्त समिति के समक्ष रखा जाये।

सम्माननीय सदस्य आचार्य वाई.के. शर्मा ने यह मामला उठाया कि आयुर्वेदा संकाय में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अध्यादेश के अध्याय–16 में कोई प्रावधान नहीं है और कहा कि इन पाठ्यक्रमों में पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रावधान किया जाये। जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि मामले का परीक्षण कर इसे पूर्ण तथ्यों के साथ परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

सम्माननीय सदस्या श्रीमती राज कुमारी ने विश्वविद्यालय के निर्माण मण्डल में कार्यरत विभिन्न कुशल एवं अर्द्ध–कुशल तकनीकी कर्मचारियों के हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में वर्ष 1997–1998 में किये गये पद परिवर्तन के आधार पर इनके पद परिवर्तन और उन्हें
देय वित्तीय लाभ प्रदान करने का मामला उठाया। जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने मामले को पुनः पूर्ण तथ्यों सहित वित्त समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया।

बैठक में माननीय कुलपति महोदय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में अनुशासन तथा समय–परायणता सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुलपति से सेवादार तक सभी को वायोमीट्रिक प्रणाली के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। माननीय कुलपति के इस सुझाव का कार्यकारिणी परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से समर्थन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में तदानुसार वायोमीट्रिक मशीनें शीघ्र स्थापित की जाएं।

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण (तृतीय संशोधन), विनियम, 2016 को विश्वविद्यालय में अपनाने के मामले पर चर्चा की गई। जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने उपरोक्त विनियम, 2016 को विश्वविद्यालय में अपनाने के लिए विनियम की प्रति प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पत्राचार करने का निर्णय लिया।

बैठक के अन्त में माननीय कुलपति महोदय ने शैक्षणिक परिषद् की दिनांक 25–2–2016 को हुई बैठक की कार्यवाही को हस्ताक्षरित करने का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष चर्चा के लिए उठाया। कुलपति महोदय ने परिषद् को अवगत करवाया कि शैक्षणिक परिषद् की उपरोक्त बैठक में कुलसचिव महोदय के अवकाश पर होने के कारण बैठक में आचार्य श्याम लाल कौशल जो उस समय परीक्षा नियन्त्रक के पद पर आसीन थे सदस्य–सचिव के रूप में बैठक में उपस्थित रहे। लेकिन वे उपरोक्त शैक्षणिक परिषद् की बैठक की कार्यवाही इस तर्क के साथ हस्ताक्षरित करने से मना कर रहे हैं कि वे कुलसचिव महोदय की उपस्थिति में कार्यवाहक कुलसचिव के रूप में अस्थायी तौर पर उक्त पद का कार्यभार देख रहे थे।

शैक्षणिक परिषद् की दिनांक 25–2–2016 को हुई बैठक की कार्यवाही को कार्यवाहक कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित न करने के मामले पर विस्तार से हुई चर्चा पर कार्यकारिणी परिषद् के अधिकांश सदस्यों का मत था कि आचार्य श्याम लाल कौशल जो उक्त दिनांक को हुई शैक्षणिक परिषद् की बैठक में कार्यवाहक कुलसचिव के तौर पर उपस्थित हुए द्वारा ही शैक्षणिक परिषद् की बैठक की कार्यवाही को हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। चर्चा उपरान्त परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि माननीय प्रति

कुलपति महोदय मामले का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेंगे जिसके आधार पर परिषद् की आगामी बैठक में मद प्रस्तुत किया जाएगा।

अन्त में बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

(डॉ. पंकज ललित)
कुलसचिव
(सदस्य–सचिव)

पुष्टिकरण

हस्ता0/–

(आचार्य ए.डी.एन. बाजपेयी)
सभापति/कुलपति